मध्यम स्तर पाठ्यक्रम

अध्ययन सामग्री

(मॉड्यूल 1 एवं 2)

पेपर 3

कराधान

भाग - बी : वस्तुएँ एवं सेवाएँ कर

(मई 2026, सितंबर 2026 एवं जनवरी 2027 परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक)

मॉड्यूल - 1

बोर्ड ऑफ स्टडीज़ (शैक्षणिक)
भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का संस्थान

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

यह अध्ययन सामग्री बोर्ड ऑफ स्टडीज़ (शैक्षणिक) के संकाय द्वारा तैयार की गई है। इस अध्ययन सामग्री का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय में ज्ञान प्राप्त करने हेतु शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। यदि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की स्पष्टता की आवश्यकता हो अथवा इस सामग्री में और सुधार हेतु कोई सुझाव हो तो वे संयुक्त निदेशक, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ (शैक्षणिक) को लिख सकते हैं।

विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाने के लिए सभी व्याख्याओं और चर्चाओं को सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। तथापि, इस अध्ययन सामग्री पर संस्थान की परिषद या उसकी किसी समिति द्वारा विशेष रूप से विचार-विमर्श नहीं किया गया है, अतः इसमें व्यक्त विचारों को परिषद या उसकी समितियों के विचारों का आवश्यकतः प्रतिनिधित्व मानना उचित नहीं होगा।

इस सामग्री के किसी भी अंश के पुनरुत्पादन के लिए संस्थान की अनुमति अनिवार्य है।

©भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का संस्थान

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक का कोई भी भाग बिना प्रकाशक से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए न तो पुनरुत्पादित किया जा सकता है, न ही किसी संग्रहण प्रणाली में सुरक्षित किया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, छायांकन, रिकॉर्डिंग अथवा अन्यथा) द्वारा प्रेषित किया जा सकता है।

इस प्रकाशन का मूल प्रारूप सीए (डा.) रश्मि गोयल द्वारा तैयार किया गया।

संस्करण	:	जुलाई, 2025
समिति / विभाग	:	अध्ययन मंडल (शैक्षणिक)
ई-मेल	:	bosnoida@icai.in
वेबसाइट	:	www.icai.org
मूल्य	:	₹ /- (सभी मॉड्यूल के लिए)
आईएसबीएन संख्या	:	978-81-19472-20-8
प्रकाशित द्वारा	:	प्रकाशन एवं सीडीएस निदेशालय द्वारा, भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के संस्थान की ओर से, आईसीएआई भवन, पोस्ट बॉक्स संख्या 7100, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली 110 002 (भारत)
मुद्रित द्वारा	:	

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

शुरू करने से पहले.....

चार्टर्ड एकाउंटेंट की भूमिका निरंतर परिवर्तनशील वातावरण में नये उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण बदलाव से गुजर रही है। रणनीतिक निर्णय-निर्धारण एवं उद्यमशील भूमिकाओं की ओर स्पष्ट झुकाव हुआ है, जो वित्तीय लेखांकन एवं प्रतिवेदन से परे मूल्य संवर्धन करते हैं। अतः चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के दक्षता स्तर को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है ताकि वे इन भूमिकाओं का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें। चूँकि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए अपने ज्ञान का क्षितिज व्यापक करने एवं नये कौशलों में पारंगत होने की सतत आवश्यकता है, अतः शिक्षा एवं प्रशिक्षण की योजना का निरंतर पुनरीक्षण किया जा रहा है ताकि यह परिवर्तनशील वैश्विक व्यवसायिक वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहे; व्यावसायिक दक्षता की आवश्यकताओं का भी निरंतर पुनरीक्षण किया जा रहा है ताकि भावी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आवश्यक व्यावसायिक दक्षता अर्जित कर सकें और नयी भूमिकाएँ ग्रहण कर सकें। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ (अकादमिक) चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम की यात्रा में सीए विद्यार्थी का मार्गदर्शक एवं पथप्रदर्शक है। यह भावी विद्यार्थियों के करियर निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्हें निरंतर मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करते हुए उनके एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है।

मध्यवर्ती स्तर पर अपेक्षित ज्ञान एवं कौशल आवश्यकताएँ

मध्यवर्ती स्तर पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप न केवल व्यावसायिक ज्ञान अर्जित करें, बल्कि उस ज्ञान को समस्या-समाधान में लागू करने की क्षमता भी विकसित करें। अधिगम की प्रक्रिया आपको आवश्यक व्यावसायिक कौशलों, अर्थात् बौद्धिक कौशल एवं संप्रेषण कौशल, को आत्मसात करने में भी सहायक होनी चाहिए, जो अपेक्षित व्यावसायिक दक्षता स्तर की प्राप्ति हेतु आवश्यक हैं।

वस्तु एवं सेवा कर : अप्रत्यक्ष करों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन

कराधान चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के मुख्य दक्षता क्षेत्रों में से एक है। मध्यवर्ती स्तर पर "कराधान" विषय को दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात् भाग ए: आयकर कानून और भाग बी: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), जो कि अप्रत्यक्ष करों में एक ऐतिहासिक सुधार है, भारत में 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया।

जीएसटी के माध्यम से देश के अप्रत्यक्ष कर परिदृश्य में एक मौलिक परिवर्तन आया। जीएसटी का उद्देश्य भारत को समान कर दरों और प्रक्रियाओं वाले एक सामान्य बाजार में परिवर्तित करना और आर्थिक बाधाओं को समाप्त करना है, इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना है। पूर्व के अधिकांश केंद्रीय करों (उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर) और राज्य करों (राज्य स्तरीय वैट) को एकल कर में समाहित कर और पूर्व चरण के करों का सेट-ऑफ प्रदान कर, जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और सुगम बनाया है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में लेनदेन पर लागू होने वाले कर के कारण होने वाले प्रतिचक्रण के प्रतिकूल प्रभाव को यह न्यून करता है और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। यह बहु-स्तरीय संग्रहण तंत्र का पालन करता है, जिसमें प्रत्येक चरण पर कर वसूला जाता है और पिछले चरण में भुगतान किए गए कर का क्रेडिट अगले चरण में सेट-ऑफ के रूप में उपलब्ध होता है।

मध्यवर्ती स्तर पर जीएसटी का अध्ययन जीएसटी कानूनों के चयनित प्रावधानों को समझने और लागू करने से संबंधित है। इस नए कर कानून की सूक्ष्मताएँ तथा इसकी अंतर्निहित गतिशीलता, इस कानून के प्रावधानों को समस्या-समाधान में सीखना, समझना और लागू करना अत्यंत रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

अपने पाठ्यक्रम को जानें - इसे अध्ययन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ें

भाग बी: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का पाठ्यक्रम केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के चयनित प्रावधानों को सम्मिलित करता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन दिशानिर्देश पाठ्यक्रम से विषयवार बहिष्करण को निर्दिष्ट करते हैं। परीक्षा के लिए अध्ययन दिशानिर्देश उस परीक्षा से संबंधित संशोधनों की कट-ऑफ तिथि समाप्त होने के बाद जारी किए जाते हैं।

पाठ्यक्रम की सीमा को समझने के लिए अध्ययन सामग्री को पढ़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें समाहित सामग्री को पाठ्यक्रम में अपेक्षित विभिन्न विषयों के कवरेज को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। अतः, जिन प्रावधानों को पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया गया है, उन्हें अध्ययन सामग्री में चर्चा या व्याख्या नहीं की गई है। हालांकि, संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करते समय कुछ स्थानों पर इन बहिष्कृत प्रावधानों का उल्लेख किया गया हो सकता है, जिसे या तो फुटनोट के माध्यम से या अन्यथा उजागर किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रावधान/संकल्पनाएँ केवल विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से चर्चा की गई हैं और परीक्षा में उनका परीक्षण नहीं किया जाएगा। इस तथ्य को उक्त चर्चा के दौरान उचित रूप से उजागर किया गया है।

अतिरिक्त रूप से, अध्ययन सामग्री को अध्ययन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अध्ययन सामग्री, अध्ययन दिशानिर्देशों के जारी होने से पूर्व प्रकाशित की जाती है। अतः, अध्ययन सामग्री में कुछ प्रावधानों पर चर्चा हो सकती है, जिन्हें अध्ययन दिशानिर्देशों के जारी होने के पश्चात पाठ्यक्रम से बहिष्कृत कर दिया गया है। ऐसे प्रावधान परीक्षा दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं होंगे।

अपनी अध्ययन सामग्री को जानें

यह अध्ययन सामग्री मई 2026, सितंबर 2026 और जनवरी 2027 परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक **है। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के उन प्रावधानों पर आधारित है जो 30.04.2025 तक संशोधित किए गए हैं।** वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा किए गए संशोधन, जो 30.04.2025 तक प्रभावी हो चुके हैं, तथा 30.04.2025 तक जारी किए गए महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ और परिपत्र इस अध्ययन सामग्री में सम्मिलित किए गए हैं और अध्ययन सामग्री में इन्हें **बोल्ड इटैलिक्स** में प्रदर्शित किया गया है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

01.05.2025 से 31.10.2025 के बीच जारी किए गए महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ और परिपत्र मई 2026 परीक्षा के लिए वैधानिक अद्यतन के रूप में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल पर संकलित और वेब-होस्ट किए जाएंगे। इसी प्रकार, 01.11.2025 से 28.02.2026 के बीच जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ और परिपत्र सितंबर 2026 परीक्षा के लिए और 01.03.2026 से 30.06.2026 के बीच जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ और परिपत्र जनवरी 2027 परीक्षा के लिए वैधानिक अद्यतन के रूप में संकलित और वेब-होस्ट किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2025 29.03.2025 से भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद लागू हो गया है। हालांकि, वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधन 30.04.2025 तक प्रभावी नहीं हुए हैं। अतः मई 2026, सितंबर 2026 और/या जनवरी 2027 की परीक्षाओं के लिए वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा किए गए संशोधनों की प्रयोज्यता या अप्रयोज्यता की घोषणा आईसीएआई केवल तब करेगा जब ये संशोधन प्रभावी हो जाएँ।

अध्ययन सामग्री में, मौजूदा प्रावधानों[1] की तुलना प्रत्येक अध्याय के अंत में, जहाँ आवश्यक हो, वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित प्रावधानों के साथ की गई है। एक बार जब आईसीएआई द्वारा परीक्षा के लिए ऐसे संशोधनों की प्रासंगिकता की घोषणा की जाती है, तो विद्यार्थी संबंधित अध्याय में वर्णित प्रावधानों की जगह संशोधित प्रावधानों को पढ़ेंगे।

जीएसटी के जटिल कानून को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अध्यायों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने का ध्यान रखा गया है ताकि विद्यार्थियों के लिए समझना आसान हो। अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों के लिए सुविधा हेतु दो मॉड्यूलों में विभाजित किया गया है। मॉड्यूल 1 में अध्याय 1-7 शामिल हैं और मॉड्यूल 2 में अध्याय 8-15 शामिल हैं।

अध्ययन सामग्री के अध्यायों की संरचना एवं ढांचा - विशिष्ट विशेषताएँ

इस विषय के विभिन्न अध्याय/इकाइयों को एक समान रूप से संरचित किया गया है और इनमें निम्नलिखित घटक/विशेषताएँ सम्मिलित हैं:

[1] *30.04.2025* तक मौजूद प्रावधान

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

	प्रत्येक अध्याय के घटक	घटक के बारे में
1.	अधिगम परिणाम	प्रत्येक विषय/अधाय के अध्ययन के बाद आपको जो अधिगम परिणाम प्रदर्शित करने हैं, उन्हें प्रत्येक अध्याय/इकाई के पहले पृष्ठ पर विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन अधिगम परिणामों का प्रदर्शन आपको अपेक्षित तकनीकी दक्षता स्तर प्राप्त करने में सहायक होगा।
2.	अध्याय का सिंहावलोकन	जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में प्रस्तुत फ्लो चार्ट/तालिका/आरेख अध्याय में सम्मिलित सामग्री का एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करेगा।
3.	सामग्री का व्यवस्थित प्रवाह	जीएसटी कानून को समझाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें पहले सांविधिक प्रावधानों का उद्धारण किया गया है और उसके बाद उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। **सांविधिक प्रावधानों** को पढ़ने से आपके अंदर कानूनी क्षमता का विकास होगा, जो किसी भी कानून के अध्ययन के लिए पूर्वापेक्षित है। इसके बाद दिए गए सांविधिक प्रावधानों का **विश्लेषण** आपको यह समझने में मदद करेगा कि कानून की व्याख्या कैसे की जाती है ताकि सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकें और समस्याओं के उत्तर प्राप्त किए जा सकें। आपको सांविधिक प्रावधानों और उनके विश्लेषण को संयुक्त रूप से पढ़ना चाहिए ताकि प्रावधानों की समग्र और पूर्ण समझ विकसित हो सके। जीएसटी कानूनों की संकल्पनाएँ और प्रावधान विद्यार्थियों के अनुकूल तरीके से **उदाहरणों/चित्रणों/आरेखों/फ्लो चार्ट्स** की सहायता से समझाए गए हैं। आरेख और फ्लो चार्ट्स आपको सीखे गए संकल्पना/प्रावधान को बेहतर ढंग से समझने और स्मरण करने में मदद करेंगे। उदाहरण और चित्रण आपको संकल्पनाओं/प्रावधानों के अनुप्रयोग को समझने में सहायक होंगे। इस प्रकार, ये मूल्य संवर्धन आपकी संकल्पनात्मक स्पष्टता विकसित करने और विषय को अच्छी तरह समझने में सहायक होंगे।
4.	आइए पुनरावलोकन करें	प्रत्येक अध्याय के अंत में तालिकाओं/आरेखों/फ्लो चार्ट्स के रूप में **अध्याय का सारांश** प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप अपने द्वारा सीखी गई सामग्री का पुनरावलोकन कर सकें। यह विशेष रूप से परीक्षा से एक दिन पहले अध्याय के शीघ्र पुनरावलोकन में सहायक होगा। हालांकि, कृपया ध्यान दें कि ऐसे सारांश गहन अध्ययन का विकल्प नहीं हैं। आपको सारांश केवल तभी पढ़ने चाहिए जब आपने अध्याय में प्रस्तुत सभी चर्चाएँ पूर्ण रूप से पढ़ ली हों।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

5.	अपना ज्ञान परखें	यह अनुभाग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से युक्त है, जो आपको समस्या समाधान में आपने जो सीखा है उसे लागू करने में मदद करेंगे और आपके अनुप्रयोग कौशल को निखारेंगे। वास्तव में, यह आपके सैद्धांतिक अवधारणाओं/प्रावधानों की समझ के साथ-साथ सीखी गई अवधारणाओं/प्रावधानों को समस्याओं को हल करने और मुद्दों को संबोधित करने में लागू करने की क्षमता का परीक्षण करेगा।
6.	**उत्तर**	"अपना ज्ञान परखें" अनुभाग में दिए गए समस्याओं/प्रश्नों को हल करने के बाद, आप इस अनुभाग में प्रस्तुत उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की पुष्टि कर सकते हैं। इस प्रकार, आप किसी अध्याय के प्रावधानों या संकल्पनाओं की अपनी समझ के स्तर का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं।
7.	क्रॉसवर्ड पहेलियाँ	अध्ययन में गेमिफिकेशन (खेल आधारित शिक्षण) का समावेश अंतःक्रियाशीलता और सहभागिता को बढ़ाता है, जिससे स्मृति स्थायित्व में सुधार होता है। परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों की स्मृति और चिन्तन क्षमताओं को निखारने के उद्देश्य से, प्रत्येक अध्याय के अंत में क्रॉसवर्ड पहेलियाँ सम्मिलित की गई हैं।
8.	प्रश्नोत्तरी	अध्यायों में गेमिफाइड शिक्षण को प्रोत्साहित करने और गतिशीलता लाने के उद्देश्य से, (i) कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों (अध्याय 1 से 8) पर केन्द्रित बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) प्रश्नोत्तरी और (ii) कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं (अध्याय 9 से 15) पर जोर देने वाली रैपिड-फायर प्रश्नोत्तरी को सम्मिलित किया गया है। इससे विद्यार्थियों के लिए एक आकर्षक और गतिशील अध्ययन अनुभव सुनिश्चित होता है।

विद्यार्थी अध्ययन सामग्री पढ़ते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रख सकते हैं:

- संक्षिप्तता के लिए, "वस्तु एवं सेवा कर", "केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर", "राज्य वस्तु एवं सेवा कर", "केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर", "एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर", "केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017", "एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017" और "केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017", "केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017" को इस अध्ययन सामग्री में क्रमशः "जीएसटी", "सीजीएसटी", "एसजीएसटी", "यूटीजीएसटी", "आईजीएसटी", "सीजीएसटी अधिनियम", "आईजीएसटी अधिनियम", "यूटीजीएसटी अधिनियम" और "सीजीएसटी नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

- जब तक विशेष रूप से निर्दिष्ट न किया गया हो, अध्यायों में संदर्भित अनुभाग संख्या और नियम क्रमशः सीजीएसटी अधिनियम और सीजीएसटी नियमों से संबंधित हैं (अध्याय 4: स्थान की आपूर्ति को छोड़कर, जहाँ अनुभाग संख्या और नियम संख्या आईजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी नियमों से संबंधित हैं)।
- विभिन्न अध्यायों में 'अपना ज्ञान परखें' के अंतर्गत दिए गए उदाहरण/चित्रण/क्रॉसवर्ड पहेलियाँ/एमसीक्यू एवं रैपिड-फायर प्रश्नोत्तरी/प्रश्न और उत्तर 30.04.2025 तक विद्यमान जीएसटी कानून की स्थिति पर आधारित हैं। यदि उदाहरणों, चित्रणों, प्रश्नों और उत्तरों में उक्त तिथि के बाद के वर्ष/महीनों का संदर्भ दिया गया है, तो यह केवल संकल्पनाओं और प्रावधानों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से है, क्योंकि कानून की स्थिति बाद में परिवर्तित हो सकती है।

हालाँकि इस अध्ययन सामग्री के विकास में सभी प्रयास किए गए हैं, त्रुटियों/अपूर्णताओं की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसी त्रुटियों/अपूर्णताओं, यदि कोई हों, हमें सूचित कर सकते हैं ताकि आवश्यक सुभागत्मक कार्रवाई की जा सके।

हमें आशा है कि इस अध्ययन सामग्री में शामिल नए विद्यार्थियों के अनुकूल सुविधाएँ आपके अधिगम प्रक्रिया को अधिक आनंददायक बनाएँगी, आपके ज्ञान को समृद्ध करेंगी और आपकी आवेदन क्षमताओं को तीक्ष्ण बनाएँगी।

अध्ययन का आनंद लें और शुभकामनाएँ!

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

पाठ्यक्रम

पाठ - 3 : कराधान

(एक पत्र – तीन घंटे - *100* अंक)

भाग ए: आयकर कानून (50 अंक)

उद्देश्य:

(क) आयकर कानून के प्रावधानों की समझ विकसित करना

(ख) समस्याओं को हल करने और आवेदन-केन्द्रित मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऐसे प्रावधानों को लागू करने की क्षमता प्राप्त करना.

सामग्री:

1. मूल अवधारणाएँ
   - (i) आयकर कानून: एक परिचय
   - (ii) आयकर कानून में महत्वपूर्ण अवधारणाएँ, जिनमें व्यक्ति, करदाता, पूर्व वर्ष, आकलन वर्ष, आय, कृषि आय शामिल हैं
   - (iii) कराधान का आधार
   - (iv) व्यक्तियों के मामले में कुल आय और देय कर की गणना की प्रक्रिया
2. निवासी स्थिति और कुल आय का दायरा
   - (i) निवासी स्थिति
   - (ii) कुल आय का दायरा
3. आय के शीर्षक और विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत आय की गणना को नियंत्रित करने वाले प्रावधान
   - (i) वेतन
   - (ii) संपत्ति से आय
   - (iii) व्यवसाय या पेशे के लाभ और आय
   - (iv) पूंजीगत लाभ
   - (v) अन्य स्रोतों से आय

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

4. आय के क्लबहिंग, हानि का समायोजन या अग्रेषण एवं समायोजन, सकल कुल आय से कटौतियों से संबंधित प्रावधान

5. अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण

6. आयकर रिटर्न दाखिल करने और स्व-मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान

7. आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वैकल्पिक कर व्यवस्थाओं के तहत व्यक्तिगत द्वारा देय कुल आय और आयकर की गणना ताकि कर देयता का अनुकूलन किया जा सके

नोट: यदि किसी मौजूदा कानून के स्थान पर कोई नया कानून लागू किया जाता है, तो पाठ्यक्रम में उस नए कानून के संबंधित प्रावधानों को मौजूदा कानून के स्थान पर शामिल किया जाएगा, जिसकी प्रभाव तिथि संस्थान द्वारा अधिसूचित की जाएगी। इसी प्रकार, यदि किसी मौजूदा आयकर कानून को प्रभावहीन घोषित किया जाता है, तो पाठ्यक्रम में उस कानून को संस्थान द्वारा अधिसूचित तिथि से बाहर किया जाएगा।

अतिरिक्त रूप से, पाठ्यक्रम में शामिल किसी भी विषय में विशिष्ट समावेशन/बहिष्करण, यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक वर्ष अध्ययन दिशानिर्देशों के माध्यम से किया जाएगा। किसी विषय में विशिष्ट समावेशन/बहिष्करण प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्धन/हटाने के कारण भी हो सकते हैं।.

भाग बी: वस्तु एवं सेवा कर (50 अंक)

उद्देश्य:

(क) वस्तु एवं सेवा कर कानून के प्रावधानों की समझ विकसित करना।

(ख) ऐसे प्रावधानों को मध्यम जटिल परिस्थितियों में मुद्दों को हल करने/सुलझाने के लिए लागू करने की क्षमता प्राप्त करना।

सामग्री:

1. जीएसटी कानून: एक परिचय जिसमें संवैधानिक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है
2. सीजीएसटी और आईजीएसटी का प्रभार और संग्रहण
   (i) सीजीएसटी/आईजीएसटी कानून का अनुप्रयोग
   (ii) आपूर्ति की संकल्पना जिसमें मिश्रित और संयुक्त आपूर्ति शामिल हैं
   (iii) कर का प्रभार जिसमें रिवर्स चार्ज शामिल है
   (iv) कर से छूट
   (v) संरचना आधारित प्रभार

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

3. निम्नलिखित की मूल अवधारणाएँ:
   (i) वर्गीकरण
   (ii) आपूर्ति का स्थान
   (iii) आपूर्ति का समय
   (iv) आपूर्ति का मूल्य
   (v) इनपुट कर क्रेडिट
4. जीएसटी देयता की गणना
5. पंजीकरण
6. कर चालान; क्रेडिट और डेबिट नोट; इलेक्ट्रॉनिक वे बिल
7. खाते और अभिलेख
8. रिटर्न
9. कर का भुगतान

नोट - यदि किसी मौजूदा कानून के स्थान पर कोई नया कानून लागू किया जाता है, तो पाठ्यक्रम में उस नए कानून के संबंधित प्रावधानों को मौजूदा कानून के स्थान पर शामिल किया जाएगा, जिसकी प्रभाव तिथि संस्थान द्वारा अधिसूचित की जाएगी। इसी प्रकार, यदि किसी मौजूदा कानून का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो पाठ्यक्रम में उस कानून को संस्थान द्वारा अधिसूचित तिथि से बाहर किया जाएगा। विद्यार्थियों की परीक्षा किसी विशेष राज्य जीएसटी कानून के संदर्भ में नहीं ली जाएगी।

पाठ्यक्रम में शामिल इस पत्र के जीएसटी कानूनों के प्रावधानों में जो परिणामी/संबंधित संशोधन होते हैं, जो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किए गए प्रावधानों में संशोधनों के कारण उत्पन्न होते हैं, वे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न विषयों में विशिष्ट समावेशन/बहिष्करण हर वर्ष अध्ययन दिशानिर्देशों के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्धन/हटाने के कारण भी विशिष्ट समावेशन/बहिष्करण उत्पन्न हो सकते हैं।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

सामग्री

अध्याय 1 – भारत में जीएसटी - एक परिचय

अधिगम परिणाम 1.1

अध्याय का सिंहावलोकन:..... 1.2

सामग्री:

1. भारत में कराधान प्रणाली का सिंहावलोकन 1.2
2. भारत में जीएसटी का उद्भव..... 1.4
3. जीएसटी की संकल्पना 1.7
4. भारत में जीएसटी की आवश्यकता..... 1.8
5. भारत में पेश किए गए जीएसटी का ढांचा 1.11
6. जीएसटी के लाभ..... 1.27
7. संवैधानिक प्रावधान 1.31

आइए पुनरावलोकन करें 1.47

अपना ज्ञान परखें..... 1.53

उत्तर..... 1.54

क्रॉसवर्ड पहेली 1.59

अध्याय 2 – जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति

अधिगम परिणाम..... 2.1

अध्याय का सिंहावलोकन: 2.2

सामग्री:

1. परिचय..... 2.2
2. प्रासंगिक परिभाषाएँ 2.3
3. आपूर्ति की संकल्पना [सीजीएसटी अधिनियम की भाग 7]..... 2.8

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

4. संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति [भाग 8] 2.70
आइए पुनरावलोकन करें 2.80
अपना ज्ञान परखें 2.90
उत्तर 2.93
क्रॉसवर्ड पहेली 2.98

अध्याय 3 – जीएसटी का अधिरोपण

अधिगम परिणाम 3.1
अध्याय का सिंहावलोकन: 3.2
सामग्री:
1. परिचय 3.2
2. प्रासंगिक परिभाषाएँ 3.3
3. जीएसटी कानून का विस्तार एवं प्रारंभ 3.7
   सीजीएसटी और आईजीएसटी का प्रभार और संग्रहण [सीजीएसटी अधिनियम की भाग 9 एवं आईजीएसटी अधिनियम की भाग 5] 3.10
4. संरचना आधारित प्रभार [सीजीएसटी अधिनियम की भाग 10] 3.43
आइए पुनरावलोकन करें 3.70
अपना ज्ञान परखें 3.76
उत्तर 3.78
क्रॉसवर्ड पहेली 3.83

अध्याय 4 – आपूर्ति का स्थान

अधिगम परिणाम 4.1
अध्याय का सिंहावलोकन: 4.2
सामग्री:
1. परिचय 4.2
2. प्रासंगिक परिभाषाएँ 4.7

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

3. भारत में आयातित या निर्यातित माल की आपूर्ति को छोड़कर अन्य माल की आपूर्ति का स्थान [भाग 10]].....4.11

4. सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहाँ सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान भारत में हो [भाग 12].....4.20

5. राज्य-परिवर्ती आपूर्ति [आईजीएसटी अधिनियम की भाग 7].....4.53

6. राज्य-आंतरिक आपूर्ति [आईजीएसटी अधिनियम की भाग 8].....4.56

7. क्षेत्रीय जल में आपूर्ति [आईजीएसटी अधिनियम की भाग 9].....4.59

आइए पुनरावलोकन करें.....4.61

अपना ज्ञान परखें.....4.68

उत्तर.....4.69

क्रॉसवर्ड पहेली.....4.72

अध्याय 5 – जीएसटी से छूट

अधिगम परिणाम..... **5.1**

अध्याय का सिंहावलोकन..... **5.2**

सामग्री:

1. परिचय..... 5.2

2 कर से छूट देने का अधिकार [सीजीएसटी अधिनियम की भाग 11 / आईजीएसटी अधिनियम की भाग 6]..... 5.4

3. कर से मुक्त वस्तुएँ..... 5.8

4. कर से मुक्त सेवाओं की सूची..... 5.9

सामान्य प्रथा के परिणामस्वरूप न लगाया गया या अल्प-लगाया गया वस्तु एवं सेवा कर वसूल न करने का अधिकार..... 5.114

आइए पुनरावलोकन करें..... 5.117

अपना ज्ञान परखें..... 5.136

उत्तर..... 5.137

क्रॉसवर्ड पहेली..... 5.141

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अध्याय 6 – आपूर्ति का समय

अधिगम परिणाम 6.1
अध्याय का सिंहावलोकन: 6.2
सामग्री:
1. परिचय 6.2
2. प्रासंगिक परिभाषाएँ 6.4
3. माल की आपूर्ति का समय [भाग 12] 6.7
4. सेवाओं की आपूर्ति का समय [भाग 13] 6.24
आइए पुनरावलोकन करें 6.40
अपना ज्ञान परखें 6.44
उत्तर 6.47
क्रॉसवर्ड पहेली 6.55

अध्याय 7 – आपूर्ति का मूल्य

अधिगम परिणाम 7.1
अध्याय का सिंहावलोकन 7.2
सामग्री:
1. परिचय 7.2
2. प्रासंगिक परिभाषाएँ 7.3
3. आपूर्ति का मूल्य [भाग 15] 7.8
आइए पुनरावलोकन करें 7.28
अपना ज्ञान परखें 7.29
उत्तर 7.34
क्रॉसवर्ड पहेली 7

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान